न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 27.08.2025

मुकदमा नम्बर 187/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/389

लालूराम पुत्र मघाराम जाति ज़ाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी के खेत खाता संख्या नया 795 खसरा नम्बर 1292 तादादी 3.7600 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 933 मीन रोही शेरूणा हैं। वादगत खेत की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का नाम लालूराम है व वादी के पिता का नाम मघाराम है वादी के पारिवारिक राशन कार्ड में, मतदाता पहचान पत्र में आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में व अन्य सरकारी दस्तावेजो में वादी के पिता का नाम मघाराम दर्ज चला आ रहा है वादी के पिता को गांव में व समाज में मघाराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता था लेकिन वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भगाराम दर्ज चला आ रहा है। जो गलत दर्ज चला आ रहा हैं । वादगत खेत का विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम मगाराम दर्ज था व वादगत खेत का खाता विभाजन का इंतकाल दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम मगाराम दर्ज था लेकिन वादगत खेत की जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 तैयार करते समय वादी के पिता का नाम भगाराम दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ वादी के सरकारी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम मघाराम दर्ज चला आ रहा है लेकिन केवल वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भगाराम दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज चला आ रहा है वादी के पिता का सही नाम मघाराम है। वादी वादगत खेत पर कृषि ऋण लेना चाहता है जिसके लिये वादी ने ऋण लेने के लिये बैंक से माह अगस्त 2024 में सम्पर्क किया तो बैंक द्वारा वादी को कहा गया कि आपके खेत के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पहचान सम्बंधित दस्तावेजो के अनुसार आपके पिता का नाम नहीं है इसलिये आपका कृषि ऋण का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा पहले आप आपके खेत के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पिता का नाम आपके पहचान सम्बंधी दस्तावेजों के अनुसार सही करके लाए तभी हम आपको कृषि ऋण दे सकते हैं। व बादी वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी ने दिनांक 03.09.2024 को वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम मघाराम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके खेत के राजस्व रिकॉर्ड गे आपके पिता का सही नाम मघाराम दर्ज कर सकते हैं अन्यथा नही यही दावे का हेतू हैं दावे का आधार वादी का वादगत खेत पर कब्जा काश्त व वादी वादगत खेत में खातेदार होने से प्राप्त हैं। वादी के पिता का सही नाम मघाराम हैं वादगत खेत में वादी के पिता का सही नाम मघाराम दर्ज करवाने के लिए वादी के पास दावा पेश करने के अलावा कोई चारा नही हैं व वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का सही नाम मघाराम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाना आवश्यक हैं। वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता हैं इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पक्षकार बनाया गया है। वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का कार्य तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता है। वादी को वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत में कृषि ऋण तुरन्त लेना हैं तुरन्त कृषि ऋण नही मिलने से वादी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं वादी अपने कृषि भूमि का समुचित उपयोग नही कर पा रहा हैं इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं नोटिस मे समय लगेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तथा वादगत खेत में वादी के पिता के नाम में संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा फिर भी कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर रखते हुये धारा 80 सी पी सी के तहत छूट का प्रार्थना पत्र दावा के साथ में प्रस्तुत है । ऐसी स्थिति मे धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं। वादगत खेत रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिये यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो पूर्ण कोर्ट फीस प अन्दर मियाद पेश हैं । अतः दावा पेश कर निवेदन किया गया हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) यह घोषित किया जावे कि वादी के पिता नाम मघाराम हैं तदनुसार वादगत खेत खाता संख्या नया 795 खसरा नम्बर 1292 तादादी 3.7600 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम मघाराम दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम मघाराम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे ।

(ग) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में लालूराम का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खाता संख्या नया 795 खसरा नम्बर 1292 तादादी 3.7600 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भगाराम के स्थान पर मघाराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

ठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

लालूराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़
मुकदमा नम्बर 187/2010
दावा बाबत घोषणात्क, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खाता संख्या नया 795 खसरा नम्बर 1292 तादादी 3.7600 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भगाराम के स्थान पर मघाराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
[illegible]....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ